

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।
द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक-09/05/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय मद अंतर्गत 12 नगर परिषदों के नियमित कर्मियों के वेतन/बकाया वेतनादि मद में अधियाचित राशि कुल 11,40,87,422/- रु० के विरुद्ध अनुदान के रूप में कुल अधियाचित राशि का 30% यथा, रु० 3,42,26,227/- (तीन करोड़ बयालीस लाख छब्बीस हजार दो सौ सताईस रुपये) मात्र अनुदान राशि की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय मद अंतर्गत 12 नगर परिषदों के नियमित कर्मियों के वेतन/ बकाया वेतनादि मद में अधियाचित राशि कुल 11,40,87,422/- रु० के विरुद्ध अनुदान के रूप में कुल अधियाचित राशि का 30% यथा, रु० 3,42,26,227/- (तीन करोड़ बयालीस लाख छब्बीस हजार दो सौ सताईस रुपये) मात्र अनुदान राशि की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

क्र०	निकाय का नाम	कार्यरत बल	निकाय द्वारा अधियाचित राशि	अनुदान के रूप में स्वीकृत अधियाचित राशि का 30%	कोषागार/उप कोषागार	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	लोहरदगा नगर परिषद	30	92,85,265	27,85,580	लोहरदगा	कार्यपालक पदाधिकारी
2	झुमरीतिलैया नगर परिषद	26	96,92,200	29,07,660	कोडरमा	कार्यपालक पदाधिकारी
3	दुमका नगर परिषद	18	70,84,308	21,25,292	दुमका	कार्यपालक पदाधिकारी
4	मिहिजाम नगर परिषद	04	6,48,600	1,94,580	जामताड़ा	कार्यपालक पदाधिकारी
5	मधुपुर नगर परिषद	44	1,93,15,068	57,94,520	मधुपुर	कार्यपालक पदाधिकारी
6	चाईबासा नगर परिषद	31	1,02,18,902	30,65,671	चाईबासा	कार्यपालक पदाधिकारी
7	गढ़वा नगर परिषद	11	36,45,643	10,93,693	गढ़वा	कार्यपालक पदाधिकारी
8	गुमला नगर परिषद	6	32,44,447	9,73,334	गुमला	कार्यपालक पदाधिकारी
9	जुगसलाई नगर परिषद	30	1,77,69,010	53,30,703	जमशेदपुर	कार्यपालक/ विशेष पदाधिकारी
10	साहेबगंज नगर परिषद	55	2,50,22,590	75,06,777	साहेबगंज	कार्यपालक पदाधिकारी
11	चक्रधरपुर नगर परिषद	17	45,51,540	13,65,462	चक्रधरपुर	कार्यपालक पदाधिकारी
12	गोड्डा नगर परिषद	13	36,09,849	10,82,955	गोड्डा	कार्यपालक पदाधिकारी
	कुल	285	11,40,87,422	3,42,26,227	(तीन करोड़ बयालीस लाख छब्बीस हजार दो सौ सताईस)	

2. स्वीकृत/आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) के मांग संख्या-48 के अधीन गैर-योजना मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-192-नगरपालिकाओं/नगरपालिका परिषदों को सहायता-उपशीर्ष-07-नगर परिषद्/नगरपालिका को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु सहाय्य अनुदान-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-46-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)-(विपत्र कोड-48S221780192070646) अंतर्गत उपबंधित राशि 11,42,64,000/- रु० से की जायेगी।

- स्वीकृत अनुदान राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त तालिका में उल्लेखित नगर निकायों के नाम के सम्मुख स्तंभ vii में अंकित पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी स्तंभ vi में अंकित कोषागार/उप कोषागार से वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत की जायेगी।
- विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की उपयोगिता संबंधी विवरणी निम्नवत् है:-

क्र०	निकाय का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	निकासी की गई राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति
i	ii	iii	iv	v
1	झुमरीतिलैया नगर परिषद्	47/10.06.16	3,980,130	3,980,130
2	गुमला नगर परिषद्	47/10.06.16	801,165	801,165
		380/22.03.17	210,000	210,000
3	लोहरदगा नगर परिषद्	47/10.06.16	2,615,367	2,615,367
4	मधुपुर नगर परिषद्	47/10.06.16	10,068,631	10,068,631
5	दुमका नगर परिषद्	47/10.06.16	3,803,786	3,803,786
		380/22.03.17	5,212,997	5,212,997
6	मिहिजाम नगर परिषद्	47/10.06.16	2,375,520	2,375,520
7	चाईबासा नगर परिषद्	47/10.06.16	3,476,736	3,476,736
8	चक्रधरपुर नगर परिषद्	47/10.06.16	1,971,318	1,971,318
9	साहेबगंज नगर परिषद्	47/10.06.16	5,450,684	5,450,684
10	गढ़वा नगर परिषद्	47/10.06.16	287,474	287,474
11	जुगसलाई नगर परिषद्	47/10.06.16	3,178,739	3,178,739
12	गोड्डा नगर परिषद्	45/10.06.16	1,230,501	1,230,501

- वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 की कडिका-5(iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् राशि की निकासी निकायों के संबंधित कोषागार/उपकोषागार से झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के अनुसार विपत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 अंतर्गत की जायेगी।
- स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं०-2561/वि० दिनांक-17.4.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
- संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज्य के संचित निधि से राशि की निकासी के उपरान्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की बजट संबंधी धाराओं के अनुसार राशि को निकाय कोष में संधारित करने के पश्चात् ही नियमानुसार व्यय करेंगे।
- उक्त राशि की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या-2223 दि०-09.09.09 एवं 1591 दि०-16.05.11 में लिये गये निर्णय के आलोक में स्वीकृति किया जाना है। नियमानुसार निकायकर्मियों के छटे वेतन का निर्धारण निकाय स्तर से किये जाने के पश्चात् विभाग स्तर से वित्त विभागीय नियम के आलोक में सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
- संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि निकायकर्मियों को छटे वेतनमान पर भुगतान से पूर्व यह आश्वस्त हो लेंगे कि संबंधित निकायकर्मियों को वित्त विभाग के नियमानुसार वेतन का निर्धारण किया गया है एवं निर्धारित वेतन का सक्षम स्तर से सत्यापन कराये जाने की जिम्मेवारी भी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। अनुमान्यता से अधिक वेतन प्राप्त करनेवाले कर्मियों का अतिरिक्त वेतन का सामंजन कराये जाने की जिम्मेवारी भी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- स्वीकृत अनुदान राशि का भुगतान निकाय के वैसे कर्मचारियों को किया जायेगा, जो स्वीकृत पद के विरुद्ध सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दिनांक-15.11.2000 को निकाय के नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। आवंटित राशि का भुगतान निकाय में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मचारियों को किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
- संबंधित निकाय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत अनुदान की राशि के भुगतान के पश्चात् व्यय राशि का सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में टी०भी०नं० एवं तिथि के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सीधे भेजते हुए उसकी एक प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायेंगे।

18

K. W. P.


18

18

12. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य वित्त (अंकेक्षण) विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने, जांच-पड़ताल एवं अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।
13. राशि के आवंटन विषयक प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 (कंडिका-5) के आलोक में स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि०, दिनांक-20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन



(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

राँची, दिनांक-09/05/18

ज्ञापांक-02/न०वि०/स्था० व्यय/वेतन आ०/न०प०-113/2018-.....

प्रतिलिपि-माननीय (विभागीय) मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, हजारीबाग, राँची, दुमका, चाईबासा एवं मेदिनीनगर/उपायुक्त, कोडरमा/गुमला/लोहरदगा/दुमका/देवघर/पाकुड़/जामताड़ा/गढ़वा/साहेबगंज/पलामू/गोड्डा/प० सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/उपकोषागार/अध्यक्ष/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, झुमरीतिलैया/गुमला/लोहरदगा/दुमका/मधुपुर/पाकुड़/मिहिजाम/चाईबासा/गढ़वा/चक्रधरपुर/साहेबगंज/गोड्डा एवं जुगसलाई नगर परिषद/श्री कुणाल, विशेषज्ञ (IT Specialist)/Online आवंटन हेतु श्री संदीप अग्रवाल, सहायक नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर मुख्य सचिव